

20.1.2020

पत्रावली पेश। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगावाई गई,
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे प्रतीत
होता है कि वादी एवं वादी वकील अपने दावे
को लेकर गम्भीर नहीं है, अतः दावा अदम-हानि
अदम पैखी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर, दाखिल दफ़्तर हो।

(समितिवास)
20.1.2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) साधार (जालोर)

